

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर।
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: 18/03/24

विषय :— वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत मुख्य अभियंता, देवघर प्रक्षेत्राधीन विभिन्न प्रमंडलों को नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण कार्य हेतु रु. 400.00 लाख (चार करोड़ मात्र) रूपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :— प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या—28/19-20, प्र.स्वी., दिनांक—26.08.2019 Online AA-1246/28.08.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	49—जल संसाधन विभाग 4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय/ 01—बाढ़ नियंत्रण,	789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—58—नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण	05—निर्माण 45 निर्माण कार्य / 49S471101789580545	400.00

आवंटित राशि – ₹ चार करोड़ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक आगणन में प्राप्त राशि के फलस्वरूप संशोधित बजट उपबंध ₹ 1130.00 लाख (₹ रुपारह करोड़ तीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक—19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-1 के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/ अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :— २७७

रॉची, दिनांक :— १८/०३/२१

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/देवघर/राजमहल/पाकुड़/गोखड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।



(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :— २७९

रॉची, दिनांक :— १८/०३/२१

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख —I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक..... २७७

दिनांक १४/०३/२१

का अनुलग्नक परिशिष्ट - 1

मांग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-४७११-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पैंजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-०१-बाढ़ नियंत्रण
लघु शीर्ष-८८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,
उप शीर्ष-५८-नई बाढ़ नियंत्रण / कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण ४५ निर्माण कार्य
विपत्र कोड- ४९८४७११०१७९५८०५४५
वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में अनुप्रृक्त आगामन में प्राप्त राशि के फलस्वरूप संशोधित बजट उपबंध रु. ११३०.०० लाख मात्र।

राशि लाख रुपये में

क्र०	प्रमङ्गल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थिकृति का		मार्च 2020 तक का एकररनामा की राशि	वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में आवंटन पूर्व का वर्तमान कुल आवंटन	योजना पर कुल आवंटन अधितन आवंटन (8+11)	On-line Allotment Access No.	अनुच्छिकि				
				प्रसंग	राशि									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	
१	सिंचाई प्रमङ्गल गोड्डा, शित्र-महानामा (GDDIRR001)	देवधर	गोड्डा जिलान्तर्गत मुन्द्र नदी के बाये तट पर ग्राम मोकलचक, प्रखण्ड बस्तराय के पास हो रहे कटाव की रोकथान हेतु।	255.480	227.460	0.000	20.684	224.480	245.164	245.164	88875			
२	सिंचाई प्रमङ्गल सं.-२, सिकिया (DGRCMMF72)	देवधर	देवधर जिलान्तर्गत प्रखण्ड देवीपुर स्थित ग्राम-बंदारी के निकट पतरो नदी पर पुल के नीचे D/S के दाहिने तरफ ३०३ मी. लम्बाई (शेष भाग) पर कटाव निरोधक कार्य। देवधर जिलान्तर्गत प्रखण्ड मध्यपुर तिथि ग्राम-बड़दई के निकट पतरो नदी पर पुल के नीचे D/S के दाहिने तरफ ४०३ मी. लम्बाई (शेष भाग) पर कटाव निरोधक कार्य।	152.09	136.13	0.00	35.480	87.760	123.240	123.240	88876			
				132.55	117.24	0.00	12.010	87.760	99.770	99.770				
			गोग	68.174	400.000	468.174	468.174							

आवंटित राशि – ₹ चार करोड़ मात्र।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (आमि०)


(अरणोक्त कुमार दास)
संयुक्त सचिव


(प्रशांत कुमार)
सचिव